उत्तर प्रदेश शासन,
नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1
संख्याः–905/छिहत्तर–1–2020/87सम/2017टी.सी.
लखनऊः दिनॉक 09 मई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु "बुन्देलखण्ड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना" का कियान्वयन किया जा रहा है। अतः योजना के प्रदेश में सफल कियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में योजनान्तर्गत आगणनों के परीक्षण हेतु एक समिति का निम्नानुसार गठन किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1	प्रमुख सचिव/सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
3	अपर मुख्य सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
4	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5	प्रमुख सचिव पंचायती राज/विशेष सचिव से अन्यून अधिकारी	सदस्य
6	प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
8	अधिशासी/मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उत्तर प्रदेश।	सदस्य सचिव
9	निदेशक, भूगर्भ जल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य
10	मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	सदस्य

2– उक्त गठित समिति द्वारा बुन्देलखण्ड/विंध्य एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत नोडल एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत आगणनों/डी.पी.आर. का परीक्षण किया जाएगा।

3– यथावश्यकता समिति की बैठकों में प्रकरण से भिज्ञ अधिकारियों को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4– कार्यालय ज्ञाप संख्या–2397/अड़तीस–5–2019/87सम 2017, दिनांक 07 अगस्त, 2019 को निरस्त समझा जाए।

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव

संख्या–905 (1)/छिहत्तर–1–2020–87 सम/2017टी.सी., तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 जल शक्ति मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/सिंचाई/पंचायती राज एवं लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
(5) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) अधिशासी/मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
(7) निदेशक, भू–गर्भ जल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव

D:\2020\JO-2020.docx